भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4945
23 जुलाई, 2019 को उत्तर देने के लिए

लघु खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों हेतु अनुदान

4945. श्री विजय कुमार दूबे:
श्री अनुराग शर्मा:
श्री मनोज तिवारी:
श्री रेबती त्रीपुरा:
श्री संतोष कुमार:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का निकट भविष्य में लघु खाद्य प्रसंस्करण कोल्ड चेन इकाइयों की स्थापना हेतु अनुदान प्रदान करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विशेषकर झांसी और आस-पास के क्षेत्रों सहित उत्तर प्रदेश, दिल्ली/एनसीआर तथा उत्तर पूर्व राज्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं**;** और

(घ) क्या कम निवेश वाली प्रसंस्करण इकाइयों के माध्यम से लघु और मंझोले किसानों को लाभ पहुंचाने हेतु अन्य कोई योजना है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ग): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय पूरे देश में प्राथमिक प्रसंस्करण, परिरक्षण एवं मूल्यवर्धन अवसंरचना तथा परिवहन सुविधाओं (रीफर/इंस्यूलेटिड वैनें) के गठन को प्रोत्साहित करके शीघ्र खराब होने वाले उत्पादों की फसलोत्तर हानियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से प्रधान मंत्री किसान सम्पदा योजना की एक घटक के रूप में केंद्रीय क्षेत्र एकीकृत शीत श्रृंखला एवं मूल्यवर्धन अवसंरचना स्कीम कार्यान्वित कर रहा है । इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एकीकृत शीत श्रृंखला एवं मूल्यवर्धन अवसंरचना स्कीम 2008 में शुरू की गई थी । 30.06.2019 तक 292 परियोजनाएं अनुमोदित की गईं हैं और इनमें से 154 परियोजनाओं में वाणिज्यिक प्रचालन शुरू हो गया है । मंत्रालय स्टैंड-अलोन शीतागार परियोजनाओं की स्थापना को सहायता नहीं देता है ।

इस मंत्रालय द्वारा स्कीम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों सहित विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 30.06.2019 तक अनुमोदित की गईं शीत श्रृंखला परियोजनाओं का ब्यौरा **संलग्नक** में दिया गया है । दिल्ली/एनसीआर में कोई भी प्रस्ताव अनुमोदित नहीं किया गया है ।

(घ): लघु शीत श्रृंखला यूनिटों की स्थापना करने के लिए लघु और मंझोले किसान को लाभ देने के लिए इस मंत्रालय की अन्य कोई स्कीम नहीं है ।

*****

संलग्नक

लघु खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों हेतु अनुदान के बारे में दिनांक 23 जुलाई, 2019 को लोक सभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न सं.4945 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण ।

एकीकृत शीत श्रृंखला एवं मूल्यवर्धन अवसंरचना स्कीम के अंतर्गत अनुमोदित की गईं शीत श्रृंखला परियोजनाओं की राज्य-वार संख्या (30.06.2019 तक) ।

क्र.सं.	राज्य	शीत श्रृंखला परियोजनाओं की संख्या		
		पूरी हो चुकी	कार्यान्वयनाधीन	कुल
1	आंध्र प्रदेश	4	16	20
2	अंडमान और निकोबार	0	1	1
3	अरुणाचल प्रदेश	0	1	1
4	असम	2	0	2
5	बिहार	1	2	3
6	छत्तीसगढ़	2	0	2
7	गुजरात	12	8	20
8	हरियाणा	8	3	11
9	हिमाचल प्रदेश	9	6	15
10	जम्मू और कश्मीर	4	2	6
11	कर्नाटक	7	7	14
12	केरल	2	6	8
13	मध्य प्रदेश	4	2	6
14	महाराष्ट्र	33	34	67
15	मणिपुर	1	0	1
16	मिजोरम	2	0	2
17	नागालैंड	1	1	2
18	ओडिशा	2	0	2
19	पंजाब	13	5	18
20	राजस्थान	5	5	10
21	तमिलनाडु	3	8	11
22	तेलंगाना	4	5	9
23	उत्तर प्रदेश	12	14	26
24	उत्तराखंड	15	10	25
25	पश्चिम बंगाल	8	2	10
	कुल	**154**	**138**	**292**